International Journal of Research Publication and Reviews

Journal homepage: www.ijrpr.com ISSN 2582-7421

सरकारी शैक्षिक योजनायें एवम् जनजातीय महिलायें

श्वेता बुधवाला [1], डॉ. ज्योति जोशी [2]

[1]शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल
[2]प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल

शोध- संक्षेप :-

भारत विविध समुदायों की भूमि है, जहाँ विभिन्न जाति और धर्म के लोग निवास करते हैं। इन्हीं समुदायों में जनजातियाँ भी शामिल हैं, जिन्हें 'आदिवासी' या सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। ये मुख्य रूप से जंगलों, पहाड़ियों और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। भारत में जनजातीय समुदाय देश की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% हैं (जनगणना 2011), जो शैक्षिक रूप से अब भी मुख्यधारा से काफी पीछे हैं। जनजातीय समाज के शैक्षिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण सामाजिक बहिष्करण, गरीबी, संसाधनों की कमी, और जागरूकता का अभाव है। जनजातीय समाज में शिक्षा कि बात कि जाये तो शिक्षा समाज के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण आधार है, जो व्यक्ति को सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक वातावरण की समझ प्रदान करने के साथ-साथ उसकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ करती है।

जनगणना 2011 के अनुसार, भारत में जनजातीय समुदायों की औसत साक्षरता दर 58.96% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 68.53% तथा महिलाओं की 49.35% है। यदि उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ जनजातीय समुदाय की औसत साक्षरता दर 63.2% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 76.4% तथा महिलाओं 46.4% है। इससे स्पष्ट होता हैं कि उत्तराखंड में भी पुरुषों की तुलना में जनजातीय महिलाएँ शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हैं, और शिक्षा में लैंगिक असमानता अब भी बनी हुई है।

यह अध्ययन उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के खटीमा की थारू जनजाति के विशेष संदर्भ में किया गया है। थारू समुदाय इस क्षेत्र में प्रमुख जनजातीय समूह है, जिनकी शैक्षिक स्थिति 67.0% है, जिसमें पुरुष 80.4% तथा महिलायें 53.1% शिक्षित हैं | यहाँ भी महिलाओं कि शैक्षिक स्थिति काफी पिछड़ी हुई है। थारू जनजाति उत्तराखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजातीय समुदाय है, जो मुख्यतः तराई क्षेत्र, विशेषकर ऊधम सिंह नगर जनपद में निवास करती है जनगणना 2011 के अनुसार, इस समुदाय की कुल साक्षरता दर 67.0% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 80.4% तथा महिला साक्षरता दर मात्र 53.1% है। यह आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि थारू महिलाओं की शैक्षिक स्थिति अभी भी काफी पिछड़ी हुई है और उन्हें मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने हेतु विशेष प्रयासों की आवश्यकता है।

अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि जनजातीय उत्तरदाता शिक्षा के प्रति कम जागरूक हैं तथा उन्हें शैक्षिक योजनाओं की पूर्ण जानकारी भी नहीं है, जिस कारण वे इन योजनाओं का लाभ लेने में असमर्थ है | इसके अलावा आवासीय विद्यालय भी उनके निवास स्थान से काफी दूरी पर हैं जिस कारण वे अपने बच्चों को वहां भेजने में संकोच करते हैं। और वे बच्चों को निकटवर्ती सरकारी विद्यालयों में ही शिक्षा ग्रहण कराते हैं, जिससे वे जनजातीय आवासीय विद्यालयों के लाभ से वंचित रह जाते हैं।

संकेत बिंदु - अनुसूचित जनजाति, जनजातीय शिक्षा, शैक्षिक योजनायें

प्रस्तावना-

शिक्षा किसी भी समाज के समग्र विकास की कुंजी है। यह न केवल व्यक्ति के बौद्धिक विकास को बढ़ावा देती है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जागरूकता भी प्रदान करती है। भारतीय समाज में, विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच, शिक्षा का महत्व कई बार कम समझा गया है, हालांकि इसके योगदान से समाज की संरचना में बड़ा बदलाव आ सकता है। जनजातीय महिलाएँ, जो अक्सर पारंपरिक और सांस्कृतिक ढाँचों में बंधी रहती हैं, शिक्षा के माध्यम से अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझने के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक सशक्तिकरण की ओर बढ़ सकती हैं।

भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण और विकास के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4), 19(5), 23, 46, 330, 332, 335 और 338 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए प्रावधान किए गए हैं, जबकि अनुच्छेद 29, 164, 244, 244(A), 275(1), 339(1) और 339(2) विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा, , अनुच्छेद 371(A), 371(B) और 371(C) उत्तर-पूर्वी राज्यों के कुछ क्षेत्रों पर लागू विशेष प्रावधान भी शामिल हैं।[i]

इन संवैधानिक प्रावधानों और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद, अनुसूचित जनजातियां अब भी समाज के हाशिए पर हैं। वे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों में असमान रूप से प्रतिनिधित्व करती हैं, निरक्षरता की शिकार हैं और अत्यंत खराब शारीरिक स्वास्थ्य से जूझ रही हैं (जनजातीय कार्य मंत्रालय, 2014)।[ii]

अनुसूचित जनजाति –

भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में ऐसे लोग रहते हैं जो आज भी आधुनिक सभ्यता और संस्कृति से अनजान हैं। ये लोग मुख्यतः जंगलों, पहाड़ों या पठारी इलाकों में रहते हैं, जहाँ वे आम समाज से अलग रहते हैं। इन्हें जनजाति, आदिम समाज, वन्य जाति या आदिवासी कहा जाता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342(1) के तहत "अनुसूचित जनजातियाँ" उन जनजातीय समूहों को कहा जाता है जिन्हें किसी राज्य में राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित कर मान्यता दी गई है। यह मान्यता उनके सामाजिक और आर्थिक हालात को देखते हुए दी जाती है, जिससे उन्हें विशेष सुरक्षा और सुविधाएँ मिल सकें। इसका मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदायों के विकास और उनके अधिकारों की रक्षा करना है।[iii]

जनजातीय शिक्षा -

शिक्षा एक मौलिक मानवाधिकार है और मानव प्रगति के लिए राष्ट्रीय निर्माण का एक अनिवार्य तत्व है। आमतौर पर इस बात पर सहमति जताई जाती है कि विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित लोगों को गरीबी से उबारकर पूर्ण नागरिक के रूप में भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए|[iv]

जनजातीय समुदायों के शैक्षिक विकास हेतु संवैधानिक प्रावधान –

भारतीय संविधान में जनजातीय समुदायों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। जनजातीय शिक्षा और विकास को सुनिश्चित करने के लिए संविधान की पाँचवीं और छठी अनुसूची में विशेष व्यवस्थाएँ की गई हैं।

इसके अलावा जनजातीय समुदायों के शैक्षिक विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जिससे वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें और समान शैक्षिक अवसर प्राप्त कर सकें।

अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15(4), और अनुच्छेद 16 के तहत राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान , जैसे शिक्षा में आरक्षण और छात्रवृत्ति योजनाएँ। अनुच्छेद 46 सरकार को अनुसूचित जातियों और जनजातियों की शैक्षिक और आर्थिक उन्नति के लिए विशेष प्रयास करता है, साथ ही उन्हें किसी भी प्रकार के शोषण से बचाने की जिम्मेदारी देता है। अनुच्छेद 21A सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, जिससे जनजातीय बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ा जा सके। अनुच्छेद 275(1) के तहत जनजातीय बहुल क्षेत्रों में शिक्षा के विकास के लिए विशेष अनुदान और वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा, पंचायती राज अधिनियम, 1996 (PESA Act) जनजातीय समुदायों को उनके क्षेत्र में शिक्षा संबंधी योजनाओं और नीतियों में निर्णय लेने का अधिकार देता है, जिससे उनकी शैक्षिक स्थिति में सुधार हो सके।[v]

इन संवैधानिक प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदायों को शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। शिक्षा के क्षेत्र में इन प्रावधानों के माध्यम से जनजातीय बच्चों को विशेष विद्यालयों, छात्रवृत्ति योजनाओं एवं छात्रावासों का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा, छठी अनुसूची में स्वायत्त परिषदों को शिक्षा संबंधी नीतियाँ बनाने और लागू करने का अधिकार दिया गया है, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। इन संवैधानिक व्यवस्थाओं का उद्देश्य जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखते हुए उन्हें शैक्षिक रूप से सशक्त बनाना है, जिससे वे समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित हो सकें।

भारत में जनजातियों की शैक्षिक स्थिति-

2011 की जनगणना के अनुसार, देश की कुल जनसंख्या का 8.6% जनजातीय समुदाय से संबंधित है, जो देश के कुल क्षेत्रफल के 15% हिस्से में निवास करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, जनजातीय समुदाय की कुल जनसंख्या 10.45 करोड़ है। लेकिन आज भी उनकी शिक्षा में भागीदारी का प्रतिशत बहुत कम है।

सारणी 3.1 - भारत में जनजातियों की शैक्षिक स्थिति

वर्ष	ग्रामीण (Rural)			शहरी (Urban)			संयुक्त (Combined)		
	महिला (%)	पुरुष (%)	योग (%)	महिला (%)	पुरुष (%)	योग (%)	महिला (%)	पुरुष (%)	योग (%)
1961	2.90	13.37	**8.16**	13.45	37.09	**22.41**	3.16	13.83	**8.53**
1971	4.36	16.92	**10.68**	19.64	37.09	**28.84**	4.85	17.63	**11.30**
1981	6.81	22.94	**14.92**	27.32	47.60	**37.93**	8.04	24.52	**16.35**
1991	16.02	38.45	**27.38**	45.66	66.56	**56.60**	18.19	40.65	**29.60**
2001	32.44	57.39	**45.02**	59.87	77.77	**69.09**	34.76	59.17	**47.10**
2011	46.90	66.80	**56.90**	70.30	83.20	**76.80**	49.35	68.53	**58.96**

स्रोत - भारत की जनगणना **2011**

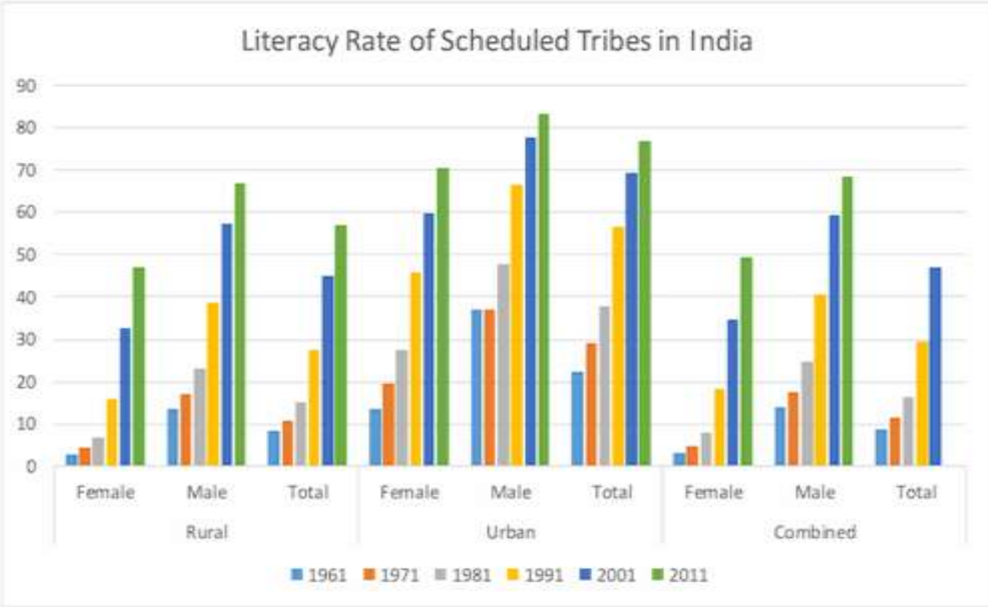

स्रोत:- भारत की जनगणना 2011

सारणी को देखने से स्पष्ट होता है कि भारत में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर में समय के साथ वृद्धि हुई है। 1961 की जनगणना के अनुसार, जनजातीय समुदायों की साक्षरता दर मात्र 8.53% थी, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 13.83% और महिलाओं की मात्र 3.16% थी। इसके विपरीत, 2011 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों की कुल साक्षरता दर 58.96% हो गई, जिसमें पुरुषों की दर 68.53% और महिलाओं की 49.35% थी।

समाज में शिक्षा का प्रचार-प्रसार, विशेष रूप से महिलाओं के लिए, सामूहिक परिवर्तन लाने के लिए अत्यधिक आवश्यक है। जब तक महिलाओं को शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक समाज का वास्तविक विकास संभव नहीं है। इस अध्ययन के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया जाएगा कि थारू जनजातीय महिलाओं की शिक्षा की स्थिति में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है और कैसे उन्हें सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सकता है।

उत्तराखंड की जनजातियों में शैक्षिक स्थिति –

उत्तराखंड में पाँच प्रमुख जनजातियाँ थारू, बुक्सा, भोटिया, जौनसारी और राजी हैं| जनगणना 2011 के अनुसार, इन जनजातियों की शैक्षिक स्थिति इस प्रकार है –

सारणी 3.2 - उत्तराखंड की जनजातियों में शैक्षिक स्थिति

क्रम. संख्या	जनजातियाँ	साक्षरता		योग
		पुरुष (%)	महिला (%)	(साक्षरता (%)
1.	भोटिया	91.5	69.1	79.9
2.	थारू	80.4	53.1	67.0
3.	बुक्सा	66.0	32.4	49.9
4.	जौनसारी	71.7	44.8	58.9
5.	राजी	47.2	22.5	35.8
	योग	**76.4**	**46.4**	**63.2**

स्रोत **- statistical survey of Uttarakhand 2011**

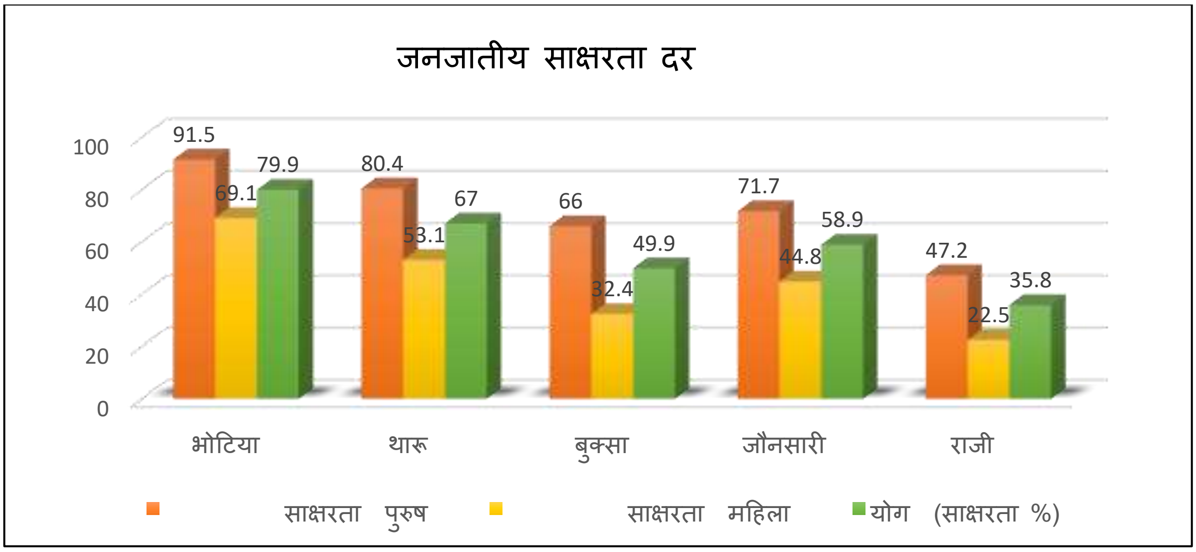

जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की पाँच प्रमुख जनजातियों में साक्षरता स्तर भिन्न-भिन्न है। भोटिया जनजाति सर्वाधिक 79.9% साक्षर है, जबकि राजी जनजाति 35.8% पिछड़ी हुई है। थारू, बुक्सा और जौनसारी जनजातियाँ मध्यम स्तर पर हैं, लेकिन सभी में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों से काफी कम है। कुल मिलाकर, पुरुषों की औसत साक्षरता 76.4% और महिलाओं की 46.4% है, जो शिक्षा में लैंगिक असमानता को दर्शाता है। इस असमानता को दूर करने के लिए विशेष शैक्षिक प्रयासों की आवश्यकता है।

थारू जनजातीय महिलाएँ -

थारू जनजाति उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में बसी हुई है। यह जनजाति अपनी विशिष्ट जीवनशैली और परंपराओं के कारण जानी जाती है, लेकिन यहाँ के लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। साथ ही शिक्षा में भी इनकी निम्न स्तिथि है | शिक्षा को सशक्तिकरण का एक प्रभावी साधन माना जाता है, और इसके माध्यम से ही इन महिलाओं को अधिकारों एवम् शैक्षिक योजनाओं के प्रति किया जा सकता है ।[vi]

भारत में जनजातीय छात्रों के लिए विभिन्न शैक्षिक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। ये योजनाएँ न केवल शिक्षा तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करती हैं, बल्कि आर्थिक सहायता भी प्रदान करती हैं, ताकि वे शिक्षा के दौरान वित्तीय समस्याओं का सामना न करें। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम विद्यालय, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना की है। इन विद्यालयों का विस्तृत विवरण निम्न है -

1.राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों की शुरुआत 1990-91 में की गयी | इसमें 2008-2009 में संशोधन किया गया । राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक निःशुल्क भोजन, वस्त्र, आवास, स्टेशनरी तथा दवाई आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है|

उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान मे 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय है। जिसमे उधम सिंह नगर के खटीमा में कक्षा 6 से 8 तक की बालिकाओं हेतु एक आश्रम विद्यालय है।

सारणी 3.3 - उधम सिंह नगर में आश्रम पद्धति विद्यालय

क्र. सं.	संस्था का नाम	छात्र क्षमता	भवन की स्थिति
1.	राजकीय आश्रम पद्धति(बालिका) विद्यालय खटीमा (उधम सिंह नगर) कक्षा 6 से 8 तक	105	विभागीय भवन

1. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) [vii]

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का शुभारम्भ वर्ष 1997-98 में किया गया है | इन विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को आवास, भोजन और पाठ्य पुस्तकें निशुल्क प्रदान की जाती है । उत्तराखंड के खटीमा में वर्ष 2019-20 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित किया गया। उत्तराखंड में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का विवरण निम्नलिखित है -

सारणी 3.4 - एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय

क्रम संख्या	विद्यालय का नाम	बालक	बालिका	योग
1.	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कालसी (देहरादून)	30	30	**60**
2.	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, बाजपुर (उधम सिंह नगर)	30	30	**60**

3.	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयन खटीमा (उधम सिंह नगर)	30	30	**60**
4.	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, (कलसी देहरादून)	30	30	**60**
5.	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, मेहरवाना, चकराता (देहरादून)	30	30	**60**
योग		**120**	**120**	**240**

2. **कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय**

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ वर्ष 2004 में किया गया था। इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करना है। इस विद्यालय में इन बालिकाओं को न केवल मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है, बल्कि उन्हें आवास की सुविधा, छात्रावास में रहने की व्यवस्था, भोजन, स्वेटर, जूते, कपड़े, पुस्तकें, और अन्य आवश्यक सामग्री भी निःशुल्क दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य इन बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाना है, ताकि वे अपने जीवन में बेहतर अवसरों का सामना कर सकें।

अध्ययन का महत्त्व –

शिक्षा से थारू महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण संभव हो सकता है। यह उन्हें आत्मनिर्भर बनने, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने और बेहतर जीवन स्तर प्राप्त करने में मदद करती है। शिक्षा से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, बल्कि वे अपने परिवार और समुदाय के निर्णयों में भी प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं। इसके अलावा, शिक्षित महिलाएँ अगली पीढ़ी को भी शिक्षित करने में सहायक होती हैं, जिससे पूरे समुदाय का विकास होता है। हालांकि, सामाजिक और आर्थिक बाधाएँ अब भी उनकी शिक्षा में रुकावट बन रही हैं, जिन्हें दूर करने के लिए प्रभावी नीतियों और योजनाओं की आवश्यकता है।

अध्ययन के उद्देश्य -

1. शैक्षिक योजनाओं के सन्दर्भ में थारू जनजातीय महिलाओं के जागरूकता के स्तर को ज्ञात करना।
2. जनजातीय महिलाओं के जीवन पर शैक्षिक योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन करना।

शोध पद्धतिशास्त्र -

प्रस्तुत अध्ययन उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल स्थित उधम सिंह नगर जनपद में निवासरत थारू जनजातीय महिलाओं पर केंद्रित है। अध्ययन के लिए वर्णनात्मक शोध अभिकल्प को लिया गया है | इसमें बहुस्तरीय निदर्शन पद्धति का उपयोग किया गया है । उधम सिंह नगर में कुल 7 विकासखंड हैं, जिसमें से खटीमा विकासखंड में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या है। खटीमा में 96 गाँव हैं| जिसमें से पांच सर्वाधिक जनजातीय बाहुल्य गाँव नौगावां ठागो, भूरा किशनी, झुनकट, गोहर पाटिया एवं रतनपुर को लिया गया है । जिसमें से दैव निदर्शन के द्वारा गोहर पाटिया गाँव को अध्ययन हेतु लिया गया है। इस गाँव की कुल जनसंख्या 1,891 है, जिसमें 362 अनुसूचित जनजाति महिलाएँ हैं। जिसमें से मतदान सूची के आधार पर सभी 254 उत्तरदाताओं को अध्ययन हेतु लिया गया है |[viii]

तथ्य संकलन हेतु प्राथमिक व द्वितीयक दोनों प्रकार के तथ्यों का संकलन किया गया। प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिए साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया । द्वितीयक सूचनाओं के लिए पुस्तकें, रिपोर्ट, पत्रिकाओं इत्यादि का प्रयोग किया गया।

शोध पत्र हेतु जिन उत्तरदाताओं को लिया है उनकी आयु का विवरण निम्न है -

सारणी 3.5 - आयु के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्रम संख्या	**आयु**			**योग**
		संख्या	**प्रतिशत**	**संख्या/प्रतिशत**
1.	**18 – 27**	46	18.1 %	254 (100.0%)
2.	**28 – 37**	70	27.6 %	
3.	**38 – 47**	60	23.6%	
4.	**48 – 57**	41	16.1%	
5.	**58 से अधिक**	37	14.6%	

आकृति 3.5 - आयु के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

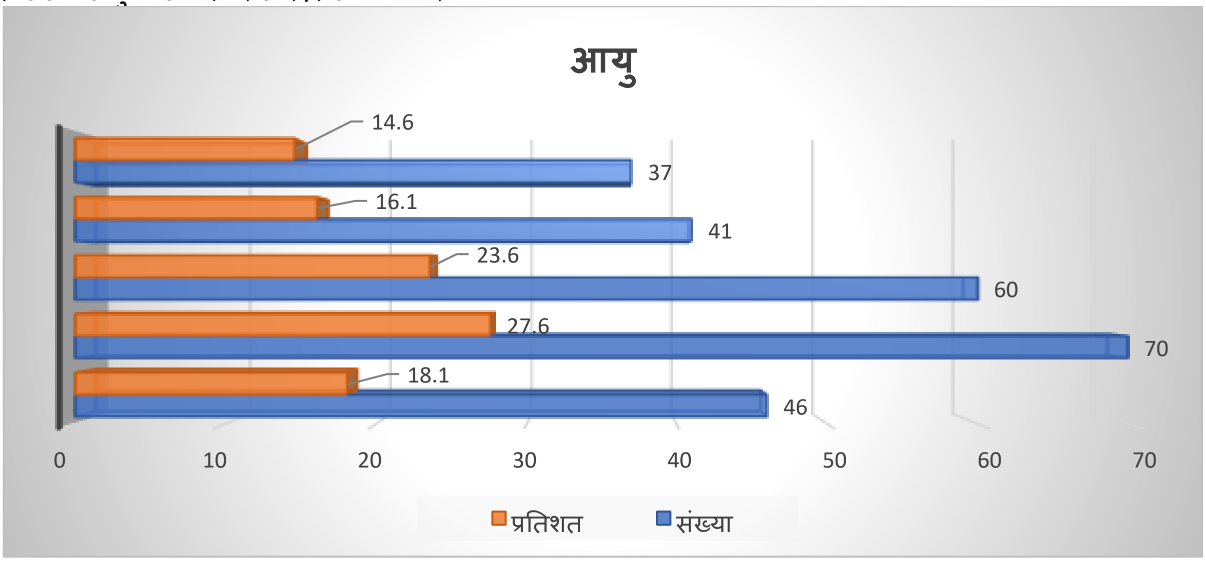

सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में 18-27 वर्ष आयु वर्ग की 46 (18.1%) महिलाएं है। 28-37 आयु वर्ग में 70 (27.6%) महिलाएं हैं, जो सबसे अधिक संख्या में हैं। 38-47 आयु वर्ग में 60 (23.6%) महिलाएं हैं, जो मुख्य रूप से घरेलू जिम्मेदारियों में संलग्न रहती हैं। इन महिलाओं ने शिक्षा योजनाओं में कम भाग लिया है , लेकिन ये आर्थिक मदद से जुड़ी योजनाओं में भाग लेती हैं, जिससे उन्हें बुनियादी आर्थिक सहायता मिलती है। 48-57 वर्ष की 41 (16.1%) महिलाएं और 58 वर्ष से अधिक की 37 (14.6%) महिलाएं हैं | इन महिलाओं ने शिक्षा योजनाओं में बहुत कम भाग लिया है। इन महिलाओं के लिए शिक्षा की बजाय सामाजिक सुरक्षा, स्वरोजगार और पेंशन योजनाएं अधिक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनकी प्राथमिकता स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा होती है।

अतः 28-37 वर्ष के मध्य आयु वर्ग में 70 (27.6%) महिलाएं हैं, जो सबसे अधिक संख्या में हैं। कुल मिलाकर, यह विश्लेषण दर्शाता है कि युवा और कार्यशील आयु वर्ग की महिलाएं शिक्षा योजनाओं का सबसे अधिक लाभ उठाती हैं, जबकि अन्य महिलाएं शिक्षा योजनाओं के बजाय सामाजिक सुरक्षा और स्वरोजगार कार्यक्रमों में अधिक रुचि लेती हैं।

सारणी 3.6 : अध्ययन क्षेत्र में प्रतिचयनित उत्तरदाताओं की शैक्षिक स्थिति

क्रम संख्या	शैक्षिक स्थिति			योग
		संख्या	प्रतिशत	संख्या/ प्रतिशत
1.	प्राथमिक	54	21.2%	254 (100.0%)
2.	माध्यमिक	17	6.69%	
3.	हाई स्कूल	28	11.02%	
4.	इंटर	39	15.35%	
5.	स्नातक	16	6.29%	
6.	परास्नातक	06	2.36%	
7.	अन्य व्यावसायिक कोर्स	04	1.57%	
8.	निरक्षर	90	35.43%	

आकृति 3.6 – उत्तरदाताओं की शैक्षिक स्थिति

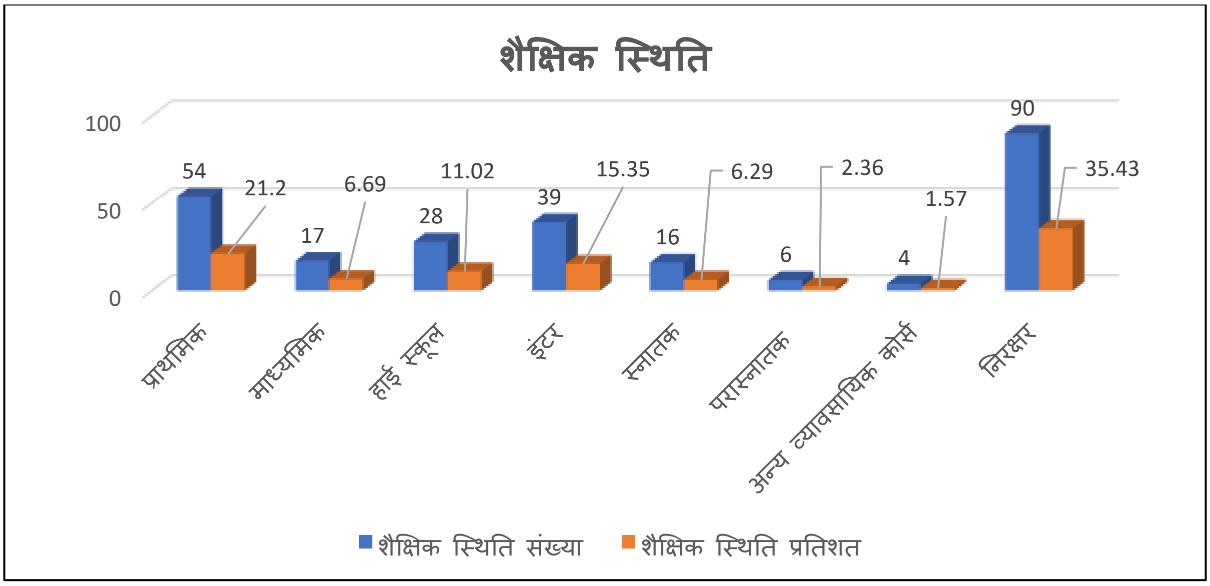

सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाली 54 (21.2%) महिलायें है, जो यह दर्शाता है कि अधिकांश महिलाएं केवल बुनियादी शिक्षा तक ही सीमित हैं। इन्होने प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त की, लेकिन वे आगे की शिक्षा जारी नहीं रख पाईं। इसका मुख्य कारण लड़कियों कि शिक्षा के प्रति उदासीनता और घरेलू जिम्मेदारियां है। माध्यमिक स्तर पर केवल 17 (6.69%) महिलाएं शिक्षित हैं, जो यह दर्शाता है कि प्राथमिक शिक्षा के बाद स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति अधिक है।

हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्तर पर महिलाओं की संख्या क्रमशः 28 (11.2%) और 39 (15.35%) है। यह आंकड़ा यह संकेत देता है कि कुछ महिलाओं ने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम है। उच्च शिक्षा की बात करें तो, केवल 16 (6.29%) महिलाएं स्नातक और 06 (2.36%) महिलाएं परास्नातक स्तर तक पहुंच पाई हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाओं की कम संख्या यह दर्शाती है कि उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए सीमित अवसर मिले और उन्होंने शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी।

इसके अतिरिक्त, 04 (1.57%) महिलाएं ही व्यावसायिक शिक्षा कर पाई हैं। इससे स्पष्ट होता है कि थारू महिलाओं में व्यावसायिक शिक्षा का स्तर बेहद निम्न है। इसके अलावा 90 (35.43%) महिलाएं निरक्षर हैं, जो दर्शाता है कि शिक्षा योजनाओं और साक्षरता अभियानों के बावजूद महिलाओं तक शिक्षा का पर्याप्त लाभ नहीं पहुंच पाया है। निरक्षरता का यह उच्च स्तर उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में बाधक बनता है|

सारणी 3.7 - उत्तरदाताओं में शैक्षिक संस्थानों कि जानकारी का विवरण

क्रम. संख्या	**शैक्षिक संस्थान**	**जानकारी का स्तर**			**योग**
			संख्या	**प्रतिशत**	**संख्या\प्रतिशत**
1 .	**राजकीय आश्रम विद्यालय**	हाँ	188	74.0%	254 (100%)
		नहीं	66	26.0%	
2.	**एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय**	हाँ	149	58.7%	254 (100%)
		नहीं	105	41.3%	
3.	**कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय**	हाँ	78	30.7%	254 (100%)
		नहीं	176	69.2%	

आकृति 3.7 - उत्तरदाताओं में शैक्षिक संस्थानों कि जानकारी का विवरण

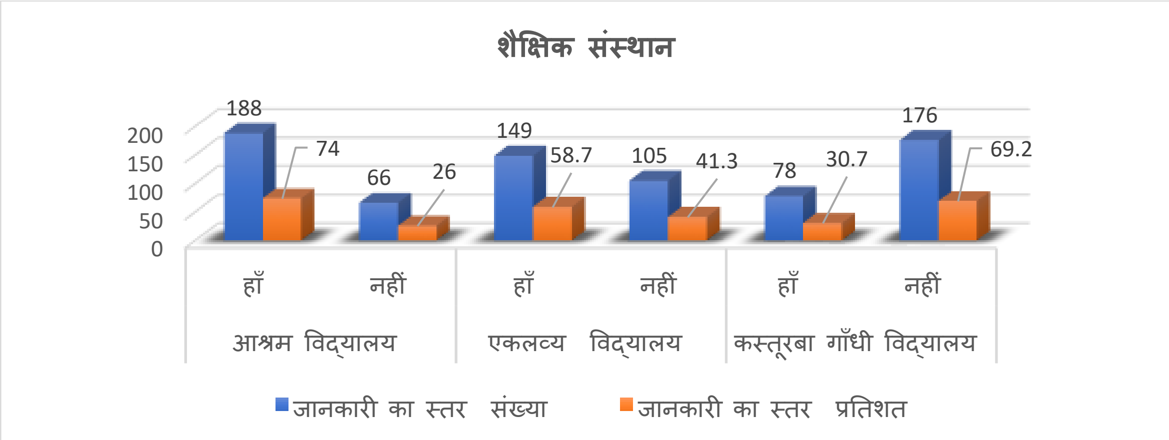

अध्ययन क्षेत्र में 188 (74.0%) उत्तरदाताओं को राजकीय आश्रम विद्यालय की जानकारी थी, जबकि 66 (26.0%) महिलाएं इससे अनजान थी। आश्रम विद्यालय की जानकारी रखने वाली महिलाओं का उच्च प्रतिशत यह दर्शाता है कि यह संस्थान जनजातीय समुदाय में अधिक लोकप्रिय है और इसकी जानकारी बड़े स्तर पर फैली हुई है। चूँकि आश्रम विद्यालयों में छात्रों को नि:शुल्क शिक्षा, भोजन, आवास और पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाती हैं, इसलिए आर्थिक रूप से कमजोर जनजातीय परिवार अपनी बेटियों को इन विद्यालयों में प्रवेश दिलाने के प्रति जागरूक रहते हैं।

149 (58.7%) उत्तरदाता एकलव्य विद्यालय की जानकारी रखते हैं, जबकि 105 (41.3%) उत्तरदाता उत्तरदाता इससे अनजान हैं।

केवल 78 (30.7%) उत्तरदाता ही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की जानकारी रखते हैं, जबकि 176 (69.2%) उत्तरदाता जानकारी नहीं रखते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कस्तूरबा विद्यालयों की जानकारी महिलाओं के बीच बहुत कम है।

अतः, यह विश्लेषण दर्शाता है कि अध्ययन क्षेत्र में थारू जनजातीय महिलाओं के बीच राजकीय आश्रम विद्यालय की जानकारी सबसे अधिक है। इसके विपरीत, अध्ययन क्षेत्र में एकलव्य विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की जानकारी अपेक्षाकृत कम पाई गई है, क्योंकि हाल ही में ही क्षेत्र में एकलव्य विद्यालय की स्थापना हुई है। प्रचार-प्रसार की सीमितता के कारण स्थानीय समुदाय में इन विद्यालयों के विषय में जागरूकता पर्याप्त रूप से विकसित हुई । महिलाओं की शिक्षा और साक्षरता को बढ़ाने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में इन संस्थानों की जानकारी को व्यापक रूप से बढ़ाना आवश्यक है, ताकि अधिक महिलाएं इनका लाभ प्राप्त कर सकें।

सारणी 3.8 - उत्तरदाताओं में शैक्षिक संस्थानों से लाभान्वित्ता का स्तर

क्रम. संख्या	संस्थान	लाभान्वित स्तर			कुल योग
			संख्या	प्रतिशत	संख्या\प्रतिशत
1.	राजकीय आश्रम विद्यालय	हाँ	16	6.3%	254
		नहीं	238	93.7%	100.0%
2.	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय	हाँ	07	2.8%	254
		नहीं	247	97.2%	100.0%
3.	कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय	हाँ	-	-	254
		नहीं	254	100%	100.0%

आकृति 3.8 - उत्तरदाताओं में शैक्षिक संस्थानों से लाभान्वित्ता का स्तर

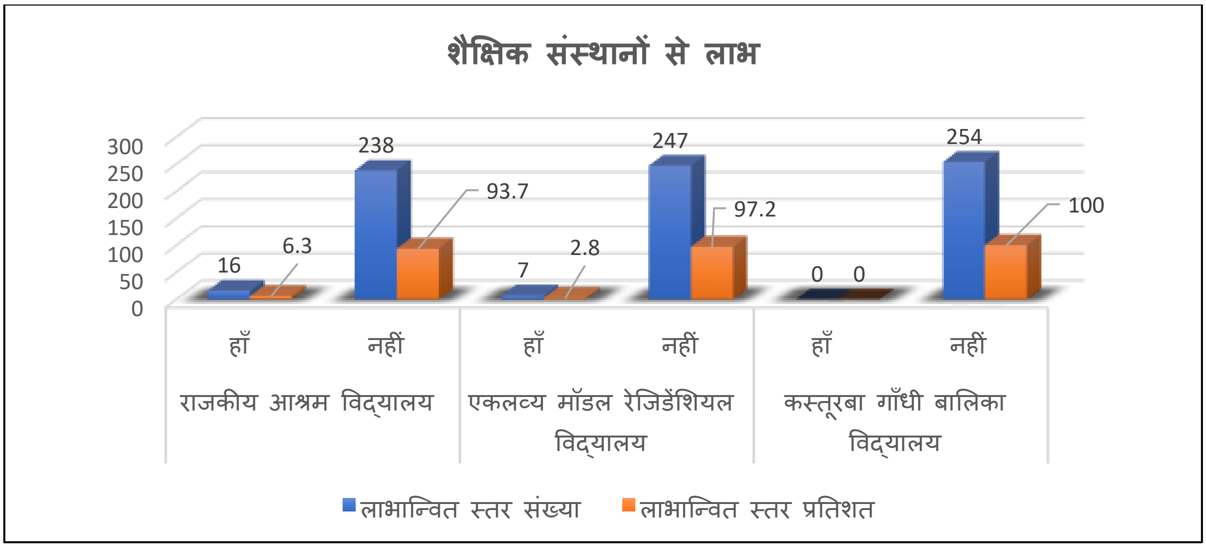

अध्ययन क्षेत्र में राजकीय आश्रम विद्यालय से लाभान्वित होने वाली महिलाओं की संख्या मात्र 16 (6.3%) है, जबकि 238 (93.7%) महिलाएं इससे लाभान्वित नहीं हो सकीं । एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय विद्यालय (EMRS) का केवल 07 (2.8%) महिलाएं ही लाभ प्राप्त कर सकीं, जबकि 247 (97.2%) महिलाएं इससे वंचित रहीं। अध्ययन क्षेत्र में कोई भी उत्तरदाता कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय लाभान्वित नहीं हो सकी। 254 (100%) महिलाएं इस विद्यालय के लाभ से वंचित रहीं।

अतः यह विश्लेषण दर्शाता है कि थारू जनजातीय महिलाओं में शैक्षिक योजनाओं का लाभ उठाने का स्तर बेहद निम्न है। अधिकांश महिलाएं इन योजनाओं से वंचित हैं, इसका मुख्य कारण उनकी शिक्षा के प्रति अरुचि है |

सारणी 3.9 - उत्तरदाताओं में शैक्षिक संस्थानों से लाभान्वित नहीं होने के कारण

क्रम संख्या	**संस्थान**	**लाभान्वित नहीं होने के कारण**			**योग**
			संख्या	**प्रतिशत**	**संख्या\प्रतिशत**
1.	**राजकीय आश्रम विद्यालय**	योजना के लिए अयोग्य(अशिक्षित)	90	37.8%	238(100.0%)
		निजी एवम् सरकारी विद्यालयों में दाखिला लिया	127	53.3%	
		बालिकाओं को घर से बाहर अकेले रहने का डर	21	8.9%	
2.	**एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय**	योजना के लिए अयोग्य(अशिक्षित)	90	36.6%	247(100.0%)
		निजी एवम् सरकारी विद्यालयों में दाखिला	118	47.7%	
		बालिकाओं को घर से बाहर अकेले रहने का डर	39	15.7%	
3.	**कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय**	योजना के लिए अयोग्य(अशिक्षित)	90	35.5%	254(100.0%)
		निजी एवम् सरकारी विद्यालयों में दाखिला	132	51.9%	
		बालिकाओं को घर से बाहर भेजने में अरुचि	32	12.6%	

अध्ययन क्षेत्र में राजकीय आश्रम विद्यालय का लाभ न उठाने वाली 238 उत्तरदाताओं में से 90 (37.8%) उत्तरदाता योजना के लिए अयोग्य थीं क्योंकि वे अशिक्षित थीं। इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा की कमी के कारण बड़ी संख्या में उत्तरदाता इस योजना का लाभ नहीं ले सके। वहीं, 127 (53.3%) उत्तरदाता पहले ही निजी या सरकारी विद्यालयों में दाखिला ले चुके थे, जिससे उन्होंने आश्रम विद्यालय में प्रवेश नहीं लिया। इसके अतिरिक्त, 21 (8.9%) उत्तरदाता असुरक्षा की भावना के कारण योजना से वंचित रहे, क्योंकि उनके परिवार ने बालिकाओं को घर से बाहर अकेले भेजने में रुचि नहीं दिखाई।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय विद्यालय (EMRS) का लाभ न उठा पाने वाले 247 उत्तरदाताओं में से 90 (36.6%) उत्तरदाता अशिक्षा के कारण योजना के लिए अयोग्य रहे। वहीं, 118 (47.7%) महिला उत्तरदाता पहले ही अन्य विद्यालयों में दाखिला ले चुकी थीं, जिससे वे इस योजना से वंचित रहीं। इसके अलावा, 39 (15.7%) महिलाएं असुरक्षा की भावना के कारण बालिकाओं को घर से बाहर भेजने में अनिच्छुक थीं। इससे स्पष्ट होता है कि बालिकाओं को आवासीय विद्यालयों में भेजने को लेकर परिवारों में झिझक और सामाजिक असुरक्षा का भाव मौजूद है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का लाभ न उठा पाने वाली 254 उत्तरदाताओं में से 90 (35.5%) महिला उत्तरदाता योजना के लिए अयोग्य थीं क्योंकि वे अशिक्षित थीं। वहीं, 132 (51.9%) महिलाएं पहले ही निजी या सरकारी विद्यालयों में दाखिला ले चुकी थीं, जिससे उन्होंने इस योजना में भाग नहीं लिया। इसके अतिरिक्त, 32 (12.6%) महिलाएं परिवार की अनिच्छा के कारण योजना से वंचित रहीं, क्योंकि उनके परिवार ने बालिकाओं को घर से बाहर भेजने में रुचि नहीं दिखाई।

अतः, यह विश्लेषण दर्शाता है कि थारू जनजातीय महिलाओं की शैक्षिक योजनाओं में भागीदारी कम होने का मुख्य कारण अशिक्षा, अन्य विद्यालयों में दाखिला और विद्यालयों का दूर होना है जिससे परिवार महिलाओं कि सामाजिक असुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं | जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, पात्रता नियमों में लचीलापन लाया जाए और बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं, ताकि अधिक महिलाएं इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।

सारणी 3.10 - उत्तरदाताओं का शैक्षिक संस्थानों से संतुष्टि का स्तर

क्रम. संख्या	संस्थान	संतुष्टि का स्तर					कुल योग
		पूर्णतः संतुष्ट	संतुष्ट	तटस्थ	असंतुष्ट	पूर्णतः असंतुष्ट	
		संख्या प्रतिशत	संख्या प्रतिशत	संख्या प्रतिशत	संख्या प्रतिशत	संख्या प्रतिशत	संख्या प्रतिशत
1.	राजकीय आश्रम विद्यालय	-	11 (68.7%)	03 (18.7%)	02 (12.5%)	-	16 (100%)
2.	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय	03 (42.8%)	04 (57.1%)	-	-	-	07 (100%)
3.	कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय	-	-	-	-	-	-

अध्ययन में राजकीय आश्रम विद्यालय से लाभान्वित 16 महिलाओं में से 14(87.4%) ने संतोष दिखाया है तथा 02 (12.5%) महिलाएं तटस्थ रहीं। किसी ने भी असंतोष प्रकट नहीं किया, जिससे यह योजना अपेक्षाकृत प्रभावी साबित हुई।एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय विद्यालय से लाभान्वित 07 उत्तरदाताओं में से 03 (42.8%) महिलाएं पूर्णतः संतुष्ट और 04 (57.1%) संतुष्ट पाई गईं। इस योजना से असंतुष्ट कोई भी महिला नहीं थी, लेकिन पूर्ण संतोष का स्तर अपेक्षाकृत कम देखा गया।

वहीं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का लाभ अध्ययन क्षेत्र में किसी भी महिला को नहीं मिला, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह योजना इस क्षेत्र में प्रभावी नहीं रही है और इसकी पहुंच सीमित थी।

निष्कर्ष-

प्रस्तुत अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला है कि शिक्षा जनजातीय समुदायों के सर्वांगीण विकास की कुंजी है। हालांकि, जनजातीय छात्रों की शिक्षा में सहभागिता का स्तर अभी भी कम है। भारत में जनजातीय समुदायों के विकास की दिशा में प्रगति हो रही है, परंतु इसकी गति धीमी है। शिक्षा न केवल सामाजिक और आर्थिक प्रगति का माध्यम है, बल्कि यह सामाजिक समानता और सशक्तिकरण की दिशा में भी एक प्रभावी साधन है।

शैक्षिक योजनाएँ और छात्रवृत्तियाँ जनजातीय छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित कर रही हैं, जिससे उनकी शैक्षिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। हालांकि, इन योजनाओं का प्रभाव सीमित हो जाता है क्योंकि ये विद्यालय दूरदराज स्थित हैं और अभिभावक अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहते हैं।

अध्ययन यह भी दर्शाता है कि जनजातीय महिलाएँ शैक्षिक योजनाओं के प्रति पर्याप्त रूप से जागरूक नहीं हैं, जिसके कारण उनकी शिक्षा में भागीदारी भी अपेक्षित कम है। सरकार ने जनजातीय शिक्षा हेतु अनेकों योजनायें लागू कि हैं, परंतु वे इसका लाभ नहीं ले पा रहा है |

जनजातीय समाज को मुख्यधारा में लाने के लिए उनकी शिक्षा तक आसान पहुँच बनाना आवश्यक है। इससे न केवल उनका जीवन स्तर सुधरेगा, बल्कि वे राष्ट्र के समग्र आर्थिक और सामाजिक विकास में सक्रिय भागीदारी भी निभा सकेंगे।

[i] Verma, R. C. (1995). *Indian tribes through the ages*. Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.

[ii] Ottaplackal, J. J., & Anbu, K. (2022). Issues and challenges of school education faced by tribal students in India: A critical review. *Shanlax International Journal of Arts Science and Humanities*, *9*(4), 25–30. Retrieved from - https://doi.org/10.34293/sijash.v9i4.4823

[iii] चौहान,विद्या सिंह,श्री राय(2009):भारत की जनजातियाँ (उत्तराखण्ड के विशेष संदर्भ में), ट्रांसमीडिया प्रकाशन श्रीनगर (गढ़वाल) पृष्ठ संख्या-5,6 व 8

[iv] Dreze, J., & Sen, A. (1995). *India: Economic development and social opportunity*. Oxford University Press. https://global.oup.com/academic/product/india-economic-development-and-social-opportunity-9780198290124

[v] Upmanyu, M. C. (2016). The tribal education in India: Status, challenges, and issues. *International Journal of Novel Research in Education and Learning*, *3*(6), 96-102. ISSN 2394-9686. Retrieved from - www.noveltyjournals.com

[vi] बिष्ट, बीएस. (1997): उत्तरांचल(ग्रामीण समुदाय पिछड़ी जाति एवं जनजाति परिदृश्य), प्रकाशक श्री अल्मोड़ा बुक डिपो ,मालरोड ,अल्मोड़ा , पृष्ठ संख्या -151,153

[vii] एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, प्राप्त स्रोत - https://tribal.nic.in/EMRS.aspx

[viii] गोहर पाटिया गाँव कि सामान्य जानकारी,

प्राप्त स्रोत - https://www.census2011.co.in/data/village/56237-gohar-patiya-uttarakhand.html